

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-179/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० राहुल रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धराउत, मखदुमपुर, जहानाबाद द्वारा चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 13.03.2025 से 20.08.2025 तक को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2495(25), दिनांक 27.11.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230, 232 एवं 234 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| 1 | दिनांक 13.03.2025 से 21.04.2025 तक | - | कुल 40(चालीस) दिन रूपांतरित अवकाश (80 दिन के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)। |
| 2 | दिनांक 22.04.2025 से 20.08.2025 तक | - | कुल 121(एक सौ इक्कसी) दिन उपार्जित अवकाश। |

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/ एल-179/2025- 283 (2) पटना, दिनांक 11/2/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मखदुमपुर, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/डा० राहुल रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धराउत, मखदुमपुर, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Waman K 10/2/26
सरकार के उप सचिव।